समाहरणालय, सिवान
(जिला निर्वाचन शाखा)

अल्पकालीन निविदा

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेशानुसार अब निर्वाचक सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र से संबंधित सभी कार्य ERMS के स्थान पर ERO Net के माध्यम से सम्पादित किया जाना है इस हेतु जिला के सभी आठों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 105–सिवान, 106–जीरादेई, 107–दरौली (अ0जा0), 108–रघुनाथपुर, 109–दरौंदा, 110–बड़हरिया, 111–गोरेयाकोठी एवं 112–महाराजगंज के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। अनुभवी एवं योग्य फर्म जो तकनीकी शर्तों को पूरा करते हैं, सीलबन्द लिफाफे में अलग–अलग तकनीकी एवं वित्तीय निविदा जिला निर्वाचन कार्यालय, सिवान में दिनांक–13.07.2017 को 3:00 बजे अपराह्न तक दे सकते हैं। तकनीकी निविदा में सफल होने पर ही संबंधित की वित्तीय निविदा खोली जायेगी। प्राप्त सभी निविदायें दिनांक– 13.07.2017 को 4:00 बजे अपराह्न में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें इच्छुक निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निर्धारित शर्त्त एवं कार्य की विवरणी तथा निविदा प्रपत्र दिनांक–13.07.2017 को 01:00 बजे अपराह्न तक जिला निर्वाचन कार्यालय, सिवान के नाजिर से 500.00 (पांच सौ रूपये) नगद जमा कर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नजारत रसीद निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। विदित हो कि कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही निविदा देना होगा, अन्य प्रपत्र में दिया गया निविदा मान्य नहीं होगा। विस्तृत जानकारी हेतु सिवान जिले के वेबसाईट <u>http://siwan.bih.nic.in</u> देखा जा सकता है।

<u>निविदा की शर्तें</u>

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें:–

1. फर्म को लघु उद्योग एवं Bihar Shop & Establishment Act के अन्तर्गत बिंहार में निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ हीं फर्म को वैट (VAT) एवं सेवा कर (Service Tax) जमा करने की अद्यतन विवरणी संलग्न करनी होगी। फर्म को माल एवं सेवा कर अधिनियम (GST Act) के तहत निबंधित होना अनिवार्य होगा एवं इससे संबंधित प्रमाण–पत्र देना होगा।
2. फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो इस हेतु फर्म को आयकर संख्या (पैन संख्या), अद्यतन कर शोधन प्रमाण पत्र एवं विगत तीन वित्तीय वर्षो का अद्यतन Audit and Balance Sheet के साथ कम से कम एक करोड़ रूपये Net worth एवं तीन करोड़ Turn Over का Audited Report संलग्न करना होगा। साथ ही फर्म को Profit Making होने सम्बन्धित C.A. Certificate संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के साथ जिला निर्वाचन, पदाधिकारी, सिवान के पक्ष में 50,000.00 (पचास हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
4. कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र (Annexure-I & Annexure-II) में ही दिया गया निविदा मान्य होगा।
5. फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण के लिए फर्म को निर्वाचन विभाग पटना द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुरूप कार्य करने संबंधी Under Taking देना होगा।
6. कार्य समाप्ति के बाद निर्वाचन से संबंधित सभी सम्पूर्ण डाटा अपने कम्प्यूटर से पदाधिकारी की देख–रेख में हटाना होगा।

7. ECI की ERO Net व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर को छोड़कर वेण्डर को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8. निविदादाता फर्म को लगातार तीन वित्तीय वर्षों (यथा वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) में ERMS पर फोटो युक्त निर्वाचक सूची (PER) एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) निर्माण कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव हेतु विधान सभा क्षेत्रों से संबंधित जिला द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। सब कॉन्ट्रैक्ट के अधीन किया गया कार्य अनुभव की श्रेणी में नहीं गिना जायेगा।
9. आवंटित कार्य की Sub Contracting किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी तथा यदि ऐसा पाया जाता है, तो तुरंत कार्यादेश वापस ले लिया जाएगा एवं जमानत की राशि जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस आशय का शपथ–पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
10. फर्म के पास पर्याप्त आधारभूत संरचना, यथा– कम्प्यूटर /Net Conectivity/QR Code Printer/ ADF Scanner/ QR Scanner/कम्प्यूटर ऑपरेटर/जेनरेटर/डिजिटल कैमरा/लेमिनेशन मशीन/हाई स्पीड प्रिन्टर/ यू0पी0एस0 आदि का होना आवश्यक है। फर्म को इसकी उपलब्धता से संबंधित स्वामित्व संबंधी शपथ–पत्र पूर्ण विवरणी (Specifications) के साथ देना होगा। फर्म द्वारा दिखाए गए संसाधनों (Resources) की उपलब्धता की समीक्षा के उपरान्त ही फर्म को कार्यादेश देने पर विचार किया जाएगा।
11. फर्म द्वारा प्रयुक्त होने वाले सभी कम्प्यूटर में Licenced Operating System और Anti Virus Software होना अनिवार्य है। फर्म को सभी कम्प्यूटर में Licensed Operating System एवं Anti Virus Software पर कार्य करने हेतु शपथ–पत्र देना होगा।
12. फोटोयुक्त निर्वाचक सूची निर्माण के क्रम में लेजर प्रिन्ट आउट निकालने हेतु सिर्फ A-4 साईज के 75GSM पेपर का प्रयोग करने संबंधी शपथ–पत्र देना होगा।
13. फर्म को फोटो निर्वाचक सूची तथा ईपिक निर्माण के लिए लेजर प्रिन्ट आउट निकालने हेतु सिर्फ ओरिजिनल कॉर्टिज का प्रयोग करने संबंधी शपथ–पत्र देना होगा।
14. फर्म को जिला से बाहर कार्य करने की अनुमति अनुमान्य नहीं होगी। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ई0आर0ओ0)/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ए0ई0आर0ओ0) स्तर पर डाटा प्रविष्टि हेतु समुचित एवं पर्याप्त संसाधन (मानव एवं तकनीकी) फर्म द्वारा अपने खर्च पर उपलब्ध कराया जायेगा। इस आशय का शपथ–पत्र तकनीकी निविदा के साथ देना होगा। चयनित फर्म को सम्बन्धित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ई0आर0ओ0)/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ए0ई0आर0ओ0) द्वारा चयनित कराये गये स्थल/भवन पर हीं कार्य कराना होगा।
15. फर्म द्वारा उन्हें कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये सभी आवेदनों एवं संलग्न अभिलेखों को क्रमवार सुरक्षित रूप से निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ई0आर0ओ0) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ए0ई0आर0ओ0) को कार्य के पश्चात् वापस किया जायेगा। इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा।
16. फर्म द्वारा उन्हें सौंपें गये सभी कार्यों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता रखी जायेगी, नियमानुसार सही–सही कार्य किया जायेगा तथा उन्हें उपलब्ध सूचनाओं एवं उस पर आधारित आंकड़ों को किसी अनाधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

18. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, के निर्देशानुसार कार्य का स्वरूप/प्रकृति एवं प्रक्रिया में समय-समय पर परिवर्तन के आलोक में संबंधित फर्म द्वारा तदनुसार भारत निर्वाचन आयोग/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के अद्यतन निदेशों के आलोक में कार्य करना होगा। फर्म को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

19. इसके अतिरिक्त फर्म को जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी/ उप निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ई0आर0ओ0)/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ए0ई0आर0ओ0) द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करना होगा तथा इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा।

20. भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 485/Comp/Ero-net/2016 दिनांक 16.03.2017 एवं उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्रांक– 1796 दिनांक 01.06.2017 से Ero Net के संबंध में प्राप्त निदेशों का अनुपालन करने का शपथ पत्र देना होगा।

21. उपरोक्त शर्तो के अलावे समय–समय पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन करना होगा तथा कार्यहित में एक से अधिक सर्विस प्रोवाईडर के बीच कार्य आवंटन करने एवं बगैर कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रदद् करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(ख) वित्तीय निविदा

1. तकनीकी निविदा में दिए गए शर्त्तों का पालन करने वाले सफल फर्मो की हीं वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। वित्तीय निविदा में संबंधित सभी कार्यो का दर निर्धारित निविदा प्रपत्र में लिखना आवश्यक है।
2. चयनित फर्म को सफलतापूर्वक समयबद्ध ढंग से कार्य निष्पादन के उपरान्त भुगतान किए जाने वाले विपत्र पर नियमानुसार आवश्यक करों की कटौतियाँ कर ली जायेंगी।
3. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रति दिन बिलम्ब के लिए 1000.00(एक हजार रूपये) की कटौती की जाएगी तथा एक सप्ताह के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

(ग) सामान्य शर्ते

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग–अलग होना अनिवार्य है।
2. वित्तीय निविदा एवं तकनिकी निविदा अपूर्ण अथवा बिना हस्ताक्षर अथवा बिना मुहर के पाये जाने पर उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. कार्य- समाप्ति के बाद निर्वाचन से संबंधित सभी सम्पूर्ण डाटा–अपने कम्प्यूटर से पदाधिकारी के देख–रेख में हटाना होगा।
4. फोटो निर्वाचक सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्माण का कार्य अन्योनाश्रित होने के कारण कार्यहित में दोनों कार्यो के लिए एक ही एजेन्सी का चयन किया जायेगा।
5. बगैर कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने, संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक फर्मों में कार्य को आवंटित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–
जिला पदाधिकारी, सिवान।

समाहरणालय, सिवान
(जिला निर्वाचन शाखा)
तकनीकी निविदा की विवरणी–I

क्र0	विवरणी	
1	निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता	
2	दूरभाष संख्या	
	मोबाईल नम्बर	
	ई–मेल पता	
3	जी0एस0टी0 नम्बर	
4	पैन नम्बर	
5	फर्म का लघु उद्योग एवं Bihar Shop & Establishment Act के अन्तर्गत बिहार में निबंधित होने का प्रमाण पत्र	
6	वैट (VAT) एवं सेवा कर (Service Tax) जमा करने की अद्यतन विवरणी	
7	वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 का ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में `एक करोड़ रूपये Net worth एवं तीन करोड़ Turn Over की विवरणी।	
8	प्रतिभूति राशि की विवरणी	
9	तीन वित्तीय वर्षों (यथा वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–2017) में ERMS पर फोटो युक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण कार्य करने संबंधी अनुभव प्रमाण–पत्र	
10	आवंटित कार्य की Sub Contracting नहीं करने संबंधी "शपथ–पत्र"	
11	आधारभूत संरचना यथा कम्प्यूटर /Net Conectivity/QR Code Printer/ ADF Scanner/ QR Scanner कम्प्यूटर ऑपरेटर/जेनरेटर/डिजिटल कैमरा/लेमिनेशन मशीन/ हाई स्पीड प्रिन्टर/यू0पी0एस0 आदि की उपलब्धता से संबंधित स्वामित्व संबंधी "शपथ–पत्र"	
12	आधारभूत संरचना से संबंधित पूर्ण विवरणी (Specifications) (एनेक्चर के रूप में भी संलग्न किया जा सकता है।)	
13	फर्म द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले कम्प्यूटर में Licenced Operating System एवं Anti Virus Software पर कार्य करने संबंधी शपथ–पत्र	

14	फोटोयुक्त मतदाता सूची निर्माण के क्रम में लेजर प्रिन्ट आउट निकालने हेतु सिर्फ A-4 साईज के 75GSM पेपर का प्रयोग करने संबंधी शपथ–पत्र	
15	फोटो निर्वाचक सूची (ए–4 साईज के कागज पर) तथा ईपिक निर्माण के लिए लेजर प्रिंटिंग आउट निकालने हेतु ओरिजनल कार्टिज का प्रयोग करने संबंधी "शपथ–पत्र"	
16	ईपिक की छपाई 100 जी0एस0एम0 से कम कागज पर नहीं करने संबंधी "शपथ–पत्र"	
17	फर्म को जिला से बाहर रहकर कार्य नहीं करने एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ई0आर0ओ0)/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ए0ई0आर0ओ0) स्तर पर डाटा प्रविष्टि हेतु समुचित एवं पर्याप्त संसाधन (मानव एवं तकनिकी) फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने संबधी शपथ–पत्र	
18	कार्य समाप्ति के पश्चात् सभी आवेदनों एवं संलग्न अभिलेखों को क्रमवार सुरक्षित रूप से निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ई0आर0ओ0) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ए0ई0आर0ओ0) को सुरक्षित रूप से वापस करने संबंधी शपथ–पत्र	
19	फर्म को सौंपे गये कार्य की गोपनीयता बरकरार रखने, नियमानुसार सही–सही कार्य करने तथा उपलब्ध सूचनाओं एवं उस पर आधारित आंकड़ों को किसी अनाधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराने संबंधी शपथ–पत्र	
20	भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार कार्य का स्वरूप/प्रकृति एवं प्रक्रिया में ससमय पर परिवर्त्तन के आलोक में सम्बन्धित फर्म द्वारा तदनुसार भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, के अद्यतन निदेश के आलोक में कार्य करने संबंधी शपथ–पत्र	
21	फर्म काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र	
22	फर्म को जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान/उप निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने संबंधी शपथ पत्र	
23	भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 485/Comp/Ero-net/2016 दिनांक 16.03.2017 एवं उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्रांक– 1796 दिनांक 01.06.2017 से Ero Net के संबंध में प्राप्त निदेशों का अनुपालन करने का शपथ पत्र देना होगा।	

निविदादाता का हस्ताक्षर

समाहरणालय, सिवान
(जिला निर्वाचन शाखा)
वित्तीय निविदा प्रपत्र–II

क्र0 सं0	कार्य का प्रकार	दर (रु) अंकों में	दर (रु) शब्दों में
1	प्रपत्र–6/6क का डाटा इन्ट्री का दर (प्रति प्रपत्र)		
2	प्रपत्र–7 का डाटा इन्ट्री का दर (प्रति प्रपत्र)		
3	प्रपत्र–8/8क का डाटा इन्ट्री का दर (प्रति प्रपत्र)		
4	QR Code जेनेरेशन, प्रिटिंग एवं फिक्सिंग का दर (प्रति पृष्ठ)		
5	QR Code फिक्सिंग के उपरान्त प्रपत्रों को स्कैन कर अपलोडिंग का दर (प्रति पृष्ठ)		
6	नजरी नक्शा का स्कैनिंग कर अपलोडिंग का दर (प्रति नजरी नक्शा)		
7	बी0एल0ओ0 के चेकलिस्ट रिपोर्ट प्रविष्टि का दर		
8	मुख्य पृष्ठ के संशोधन का दर (प्रति मुख्य पृष्ठ)		
9	पी.डी.एफ. निर्माण का दर (प्रति पी.डी.एफ.)		
10	पी.डी.एफ. सी.डी. निर्माण का दर (प्रति सी.डी.)		
11	फोटो युक्त मतदाता सूची का ए4 साईज पेपर पर एक तरफ श्याम एवं श्वेत लेजर मुद्रण का दर (प्रति पृष्ठ)		
12	फोटो युक्त मतदाता सूची का ए4 साईज पेपर पर दोनो तरफ श्याम एवं श्वेत लेजर मुद्रण का दर (प्रति पृष्ठ)		
13	फोटो युक्त मतदाता सूची का ए4 साईज पेपर पर एक तरफ रंगीन मुद्रण का दर (प्रति पृष्ठ)		
14	फोटो युक्त मतदाता सूची का ए4 साईज पेपर पर दोनो तरफ रंगीन मुद्रण का दर (प्रति पृष्ठ)		
15	बुक बाइंडिंग का दर कवर सहित (प्रति बुक)		
16	श्याम एवम् श्वेत ईपिक का निर्माण का दर (प्रति ईपिक)	——	——
17	PVC Card पर Colour EPIC का निर्माण का दर (प्रति ईपिक) (यदि पी.भी0सी0 कार्ड की आपूर्ति फर्म द्वारा किया जाता है)।		
18	PVC Card पर Colour EPIC का निर्माण का दर (प्रति ईपिक) (यदि पी.भी0सी0 कार्ड की आपूर्ति आयोग द्वारा किया जाता है)।		
19	AMF मैपिंग एवं अपलोडिंग का दर (प्रति मतदान केन्द्र)		
20	Google View Map, Satellite, Map View, CAD Drawing के माध्यम से डिजिटल नजरी नक्शा तैयार कर अपलोडिंग का दर (प्रति मतदान केन्द्र)		

1/6/17

निविदादाता का हस्ताक्षर
एवं मुहर